पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय विकासपुरी

साक्षात्कार सूचना

शैक्षणिक सत्र **2026-27** हेतु पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी में दैनिक संविदा आधार) पार्ट टाइम (पर विभिन्न संभावित रिक्तियों के विरुद्ध) प्राथमिक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षकों (तथा कंप्यूटर अनुदेशक, खेल-कूद कोच, संगीत एवं नृत्य कोच, आर्ट एंड क्राफ्ट कोच, योग प्रशिक्षक, नर्स, डॉक्टर, स्पेशल एडूकेटर, काउंसलर एटीएल प्रशिक्षक एवं बैंड मास्टर के लिए पैनल बनाने हेतु दिनांक **23-02-2026** को साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। पात्र उम्मीदवार साक्षात्कार के दिन सभी प्रमाण पत्रों की मूलप्रति एवं छायाप्रति के साथ प्रातः **08:00** बजे विद्यालय में उपस्थित होकर पंजीकरण करवाएं।

विस्तृत एवं नियमित अद्यतित जानकारी विद्यालय वेबसाइट **www.vikaspuri.kvs.ac.in** **or** **www.vikaspurishift2.kvs.ac.in** पर अनाउंसमेंट/ डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध है|

महत्वपूर्ण निर्देश :

- केन्द्रीय विद्यालय सगंठन के नियमानसुार केन्द्रीय विद्यालय में लागू विषयों हेतु सत्रारंभ से पूर्व पैनल बनाने का प्रावधान है, भले ही किसी विषय में रिक्त पद न हो क्योंकि सत्र के मध्य में शिक्षक के स्थानान्तरण अथवा अवकाश पर जाने से कुछ समय के लिए भी संविदा शिक्षक की आवश्यकता हो सकती है ।
- जिस भी पद हेतु पात्रता रखते हों / आवेदन करना है, अलग-अलग आवेदन करें एवं समस्त आवेदनों के साथ वांछित दस्तावेजों की स्वसत्यापित छायाप्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।
- आवेदन करते समय समस्त जानकारी सही प्रदान करें, यदि जाँच में कोई जानकारी गलत पाई गई तो वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
- साक्षात्कार हेतु पात्र उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि पर प्रात: 8:00 बजे से 10:00 बजे के मध्य मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन (जाँच)/पंजीकरण के लिए उपस्थित हों । मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बिना साक्षात्कार संभव नहीं होगा।
- साक्षात्कार प्रकिया में पूर्णत: पारदर्शिता बरतते हुए साक्षात्कार के अंकों एवं अनुभव / सीटेट इत्यादी के अनुरूप वरीयता क्रम निर्धारित कर बनाए गए पैनल की प्रति विद्यालय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी तथा आवश्यकता होने पर पैनल की वरीयता से शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा तथा विद्यालय के प्राचार्य / उप-प्राचार्य / वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण का निरिक्षण कर यदि कार्य संतोषजनक पाया गया, तो ही सेवाएँ ली जाएगी ।
- · वेतन / मानदेय केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम अनुसार जो संविदा शिक्षकों / प्रशिक्षकों आदि के लिए समय-समय पर लागू होता है, देय होगा ।
- · विद्यालय हित में विद्यालय के किसी भी संविदा कर्मचारियों को बिना कारण बताये हटायें जाने का अधिकार प्राचार्य को है
- प्रत्येक पद पर अनुभव के लिए प्रत्येक पूर्ण सत्र (सत्र में कम से कम 6 माह) हेतु 1 अंक [अधिकतम 5 सत्रों हेतु 5 अंक] प्रदान किया जायेगा बशर्ते यह अनुभव उसी पद पर पिछले 10 वर्षों में प्राप्त किया गया हो तथा उसका वैध प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा सत्यापन के समय (बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा) फार्म के साथ जमा किया गया हो ।
- समस्त पदों के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओँ का समुचित ज्ञान आवश्यक है । केन्द्रीय विद्यालय सीबीएसई पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं तथा शिक्षण का माध्यम मुख्यत: अंग्रेजी है अत: अभ्यथी अंग्रेजी भाषा में पढाने में दक्ष होना चाहिए ।
- कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान सभी पदों के लिए वांछनीय है ।
- आयु सीमा 01/04/2026 को 18-64 वर्ष, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी किसी अन्य भत्ते, सेवा लाभ, नियमितीकरण के अधिकारी नहीं होगें।

<u>अति–महत्वपूर्ण निर्देश:</u>

- साक्षात्कार के समय विद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध स्ववृत्त प्रपत्र (बायोडाटा फॉर्म) विधिवत भरा हुआ, समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक सेट स्व-सत्यापित छायाप्रति अवश्य लाएं (मूल प्रति सत्यापन के बाद अभ्यर्थी को तुरंत लौटा दी जाएगी किन्तु आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति नहीं लौटाए जाएँगे)

- फॉर्म के साथ कक्षा 10, 12, ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन (जैसा लागू हो) के प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर का अंक पत्र, बीएड/ डी.एल एड के समस्त सर्टिफिकेट/क्वालिफाइड /अन्य डिप्लोमा/ डिग्री/ अनुभव प्रमाण पत्र एवं एक प्रति पहचान पत्र पते सहित [वोटर आई डी/ राशन कार्ड/ आधार कार्ड/ पासपोर्ट आदि] अवश्य लगाएँ. [समस्त दस्तावेज स्वयें-सत्यापित होने चाहिए]

- पात्रता हेतु वांछित योग्यता/ अनिवार्य योग्यता विषयों के संयोजन आदि भली-भांति जाँच लें.

- के.वि. संविदा शिक्षक की सेवाएँ पूर्णतया अस्थायी होती हैं, रिक्ति होने पर ही उनकी सेवाएं ली जाती हैं एवं यदि कार्य संतोषप्रद/ विद्यार्थी हित में न पाया जाए अथवा केविसं द्वारा स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति हो जाये तो बिना कारण बताए संविदा कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त करने के सर्वाधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित हैं, अतः संविदा कर्चारियों की नियुक्ति में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि "कब किस विषय के शिक्षक का स्थानान्तरण हो जाए अथवा कब कौन शिक्षक अपरिहार्य कारण से लम्बे अवकाश पर चला जाए" इसका निर्धारण असंभव है, चयन केवल न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव आदि के आधार पर पैनल दारा प्रदान किए गए अंकों के आधार पर होता है.

- चयनित अभ्यर्थी की सेवाएँ लेने से पूर्व न्यूनतम 100 रु. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अभ्यर्थी एवं प्राचार्य के मध्य केविसं वास्ते/ पक्ष सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा.

- केंद्रीय विद्यालय संगठन के भर्ती नियम संविदा भर्ती पर भी लागू होते हैं तथापि सरलता, सहजता एवं विस्तृत व्याख्या हेतु पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी में पार्ट टाइम संविदा नियुक्ति हेतु निम्न भर्ती नियम रीक्रुमेंट रूल्स लागू होंगे.

- यदि किसी पद हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होंगे तो पुनः साक्षात्कार कराया जा सकता है अथवा दिल्ली सम्भाग के अन्य केवि के पैनल से भी पात्र एवं योग्य शिक्षक चुना जा सकता है.